कौशलं बलम्

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बी–ब्लॉक, बेली रोड, पटना–01

0612-2531162, examcontrollerbihar.iti@gmail.com, https://state.bihar.gov.in/labour

बिहार सरकार

पत्रांकः– रा0वृ0परी0– 02/2024–363/ पटना, दिनांक–13/06/2024

प्रेषक,

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य
सभी सरकारी औ0 प्र0 संस्थान, बिहार।
2. प्राचार्य/संचालक
सभी गैर सरकारी औ0 प्र0 संस्थान, बिहार

विषयः– अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा, अगस्त–2024 में सम्मिलित होने वाले सत्र 2022–24 (द्वितीय वर्ष), 2023–24 एवं 2023–25 (प्रथम वर्ष) के प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षा फॉर्म भरने के संबंध में।

प्रसंगः– डी0जी0टी0 भारत सरकार के पत्रांक–MSDE-18011/08/CTS/CTS/DEC-21/2021-TTC (FTSno E-44186) dated- 05-06-2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा, अगस्त–2024 में सम्मिलित होने वाले सत्र 2022–24 (द्वितीय वर्ष), 2023–24 एवं 2023–25 (प्रथम वर्ष) के नियमित प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहारिक विषयों की परीक्षा दिनांक– 01.08.2024 से 05.08.2024 तक एवं सैद्धांतिक विषयों की ऑनलाईन CBT परीक्षा दिनांक–07.08.2024 से 27.08.2024 तक आयोजित किया जाना है (परीक्षा कार्यक्रम संलग्न)।

अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा, अगस्त–2024 के व्यवहारिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों का Manual परीक्षा फार्म संबंधित संस्थान द्वारा भरा जाना है (परीक्षा फार्म की छायाप्रति संलग्न)। प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा शुल्क रू0 200/– से संबंधित चालान की राशि को 0230–श्रम और रोजगार, 00–उप मुख्य शीर्ष, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 0002–दस्तकारों के प्रशिक्षण से प्राप्तियाँ विपत्र कोड–R-0230008000002 में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि डी0जी0टी0 भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा संबंधी सभी कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही व्यवहारिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षणार्थियो की पूर्ण विवरणी सहित परीक्षा फॉर्म की एक प्रति तथा जमा किये गये परीक्षा शुल्क संबंधी चालान की मूल प्रति संबंधित जिले के नोडल प्राचार्य के पास दिनांक–15.07.2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित किया जाये। परीक्षार्थियों से संबंधित अभिलेख ससमय जमा नहीं करने की स्थिति में संस्थान के परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा, जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अनु:0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

12.6.24

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।